संख्या–2984 / 9–आ–3–96–10काम्प / 93

प्रेषक,
श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

आवास अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 1998

विषय : महायोजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थापित अनाधिकृत कालोनियों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक फैक्स द्वारा प्रेषित प्राधिकरण के सचिव के पत्र संख्या–4753 दिनॉक 14.9.1998 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या 1061 / 9–आ–3–1996–10 काम्प / 93 दिनॉक 22 मार्च 1996 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अनुसार विकास शुल्क का निर्धारण तथा नियमितीकरण की कार्यवाही स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड में निर्णय लेकर की जानी अपेक्षित है। जहॉ तक शासनादेश संख्या 152 / 9–आ–1–1998 दिनॉक 15.1.1998 कर प्रश्न है, के अन्तर्गत नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारित नहीं की गई है बल्कि यह व्यवस्था की गई है कि अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण से प्राप्त होने वाले विकास शुल्क का 90 प्रतिशत अंश ''आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते'' में तथा शेष 10 प्रतिशत प्राधिकरण खाते में जमा किया जाएगा। साथ ही इस शासनादेश में यह भी निर्दिष्ट है कि अनाधिकृत कालोनियॉ, जो महायोजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं, का विकास कार्य / नियमितीकरण उस क्षेत्र के न्यूनतम 80 प्रतिशत भू–भाग द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिए जाने पर ही किया जाएगा।

3. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न – यथोपरि।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव

संख्या–2984(1) / 9–आ–3–96–10काम्प / 93 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव